



ईमेल: purchasewri@gmail.com

दूरभाष : 01437-220177 फैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तहो मालपुरा, जिला-टॉक (राजस्थान) - 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) - 304501



क्रमांक 6(408)एसपी/2019/3267

निमित्त,

Registered post

दिनांक 05.02.2020

M/s Oriental Integrate Facility Management Pvt Ltd,
214,Sammrudi Business Park Mindspace,
Chincholi Extn Road Malad West Mumbai- 400 064

Email manojkumar@orientalfacility.com, support@orientalfacility.com
MobNno. 9967932717, 9920093371, 9833965820

विषय : संस्थान के उपकेन्द्र एनटीआरएस गडसा हेतु जॉब कान्ट्रोकेट के आधार पर मेनपावर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न कराने बाबत।

संदर्भ : इन निविदा 2019_DARE_528235_1 एवं बीड आईडी-1865769 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने उपरोक्त संदर्भित निविदा में उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र(केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान) गडसा कुल्लू (दिमाचल प्रदेश) हेतु दशायी गये सर्विस चार्जेज रूपये 299.00 प्रति मेनपावर प्रतिमाह को स्वीकार कर लिया हैं। अतः आपको निविदा में दशायी गई निम्नलिखित नियम व शर्तों के आधार पर विभिन्न श्रेणी के मेनपावर जॉब कोन्ट्रोकेट के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश जारी किया जाता है-

श्रेणी	संख्या	कार्य एवं योग्यता	दरें प्रति माह प्रति मेनपावर सभी करों एवं खर्चों सहित
अकुशल श्रेणी जॉब-1	मजदूर (01)	साक्षर एवं संबंधित कार्य का अनुभव —कार्यालय में डाक वितरण, साफ-सफाई कार्य, एवं अन्य कार्य	Monthly Rate-Rs. 9022.00 ESI Contribution Employee @0.75% = Rs.67.66 EPF Contribution Employee @12% = Rs.1082.64 Net payable to labour - Rs.7871.70 Say Rs.7872/-
	सफाई कर्मी (3)	संस्थान के कार्यालय/प्रयोगशाला भवन, आवासीय परिसर की सफाई से संबंधित कार्य	ESI Contribution Employer (firm) @3.25% = Rs.293.21 EPF Contribution Employer (firm) @13% = Rs.1172.86 Service Charges of firm = Rs.299.00 GST 18% Rs. 1941.67 Grant Total per labour - Rs.12728.75 say Rs.12729/- Rs.12729X4X2=101832/-
अद्विकुशल श्रेणी, जॉब-2	मैर्सेजर इत्यादि (1)	10वीं पास तथा कार्यानुभव —कार्यालय में डाक रजिस्टर में इन्द्राज एवं वितरण	Monthly Rate -Rs.9204.00 ESI Contribution Employee @0.75% = Rs.69.03 EPF Contribution Employee @12% = Rs.1104.48 Net payable to labour - Rs.8030.49 Say Rs.8030/- ESI Contribution Employer (firm) @3.25% = Rs.299.13 EPF Contribution Employer (firm) @ 13% = Rs.1196.52 Service Charges of firm = Rs.299.00 GST 18% Rs.1979.75 Grant Total per labour - Rs.12978.41 Say Rs.12978/- Rs.12978X1X2=25956/-
कुशल श्रेणी जॉब-3	लिपिकिय/ प्रयोगशाला सहायक (6)	12 वीं पास एवं कम्प्यूटर पर कार्य दक्षता तथा कार्यानुभव। कार्यालय में लिपिकिय कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य। प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेब में तकनीकी एवं वैज्ञानिक के समस्त कार्यों की सहायता करेंगे।	Monthly Rate -Rs.9984.00 ESI Contribution Employee @0.75% = Rs.74.88 EPF Contribution Employee @12% = Rs.1198.08 Net payable to labour - Rs.8711.04 say Rs.8711/- ESI Contribution Employer (firm) @3.25% = Rs.324.48/- EPF Contribution Employer (firm) @ 13% = Rs.1297.92/- Service Charges of firm = Rs.299.00 GST 18% Rs. 2142.97 Grant Total per labour - Rs.14048.37 say Rs.14048/- Rs.14048X6X2=168576/-
उच्च कुशल जॉब-4	तकनीकी सहायक/पशुधन सहायक, इत्यादि (1)	सम्बन्धित क्षेत्र में स्नातक/12वीं के साथ दो वर्ष को पशुधन सहायक डिल्लोमा —वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारीयों की अनुसंधान एवं प्रशासनिक वर्ग के कार्यों में सहायता करेंगे।	Monthly Rate -Rs.10920.00 ESI Contribution Employee @0.75% = Rs.81.90 EPF Contribution Employee @12% = Rs.1310.40 Net payable to labour - Rs.9527.70 say Rs.9528.00 ESI Contribution Employer (firm) @3.25% = Rs.354.90 EPF Contribution Employer (firm) @ 13% = Rs.1419.60 Service Charges of firm = Rs.299.00 GST 18% Rs. 2338.83 Grant Total per labour - Rs.15332.33 say Rs.15332/- Rs.15332X1X2=30664/-

Note: -Minimum wages/GST/ESI/EPF etc. rates will be revised as per instructions of GOI.

*Dinesh
05/02/2020*

अनुबन्ध की नियम व शर्तेः

1. यह जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्यादेश दिनांक 06.02.2020 से 05.02.2021 तक (एक वर्ष) के लिये प्रभावी रहेगा परन्तु सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा उक्त अवधि को घटाया भी जा सकता है। कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में आपसी सहमति से वर्तमान सर्विस चार्ज, नियम व शर्तों पर अनुबन्ध की अवधि को एक से दो वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है।
 2. यह अनुबन्ध किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस देने के साथ समाप्त किया जा सकता है, जमानत राशि अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही लोटाई जावेगी।
 3. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को सूचित किया जाता है कि वे संस्थान की अनुमति के बिना उक्त कार्य हेतु किसी को सबलेट (Sublet) नहीं कर सकेंगे और न ही किसी अन्य को पेटी ठेका दे सकेंगे।
 4. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा लगाये गये/लगाये जाने वाले श्रमिक/प्रतिनिधि शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने चाहिए तथा उनका चरित्र अच्छा एवं विश्वसनीय होना चाहिए। साथ ही निविदा में दशार्य गये सम्बन्धित कार्यों का पूर्ण ज्ञान तथा कार्य करने में दक्ष होने चाहिए। सभी प्रतिनिधियों की योगताएँ निविदा में दशार्य गये कार्य के अनुरूप होनी चाहिए।
 5. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संस्थान में एक सुपरवाईजर नियुक्त करना होगा जो कि संस्थान में लगाये गये प्रतिनिधियों/श्रमिकों पर नियंत्रण एवं आवश्यक रिकार्ड रख सकें। साथ ही सुपरवाईजर को एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी जिसे की संस्थान के सक्षम अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को जांच के लिये समय-समय पर उपलब्ध करवानी होगी तथा सभी शिकायतों का निवारण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा तुरन्त प्रभाव से करना होगा।
 6. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा किसी भी प्रतिनिधि/श्रमिक/सुपरवाईजर के बदलने की सूचना निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर को लिखित में देनी होगी। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि प्रतिदिन बदला हुआ प्रतिनिधि/श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
 7. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा संस्थान में लगाये जाने वाले प्रतिनिधि/श्रमिकों को संस्थान परिसर में गोपनीयता एवं अनुशासन बनाये रखना होगा। अगर किसी श्रमिक/प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की गोपनीयता एवं अनुशासन भंग किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और फर्म का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
 8. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा संस्थान में लगाये जाने वाले प्रतिनिधि/श्रमिकों को संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार रखना होगा तथा किसी भी प्रकार का दुराचार/दुर्व्यवहार करने पर उसे संस्थान द्वारा स्वीकार/सहन नहीं किया जावेगा एवं उसे तुरन्त प्रभाव से बदलना होगा।
 9. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा संस्थान विरोधी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले अन्यथा प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त/समाप्त किया जा सकता है।
 10. अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संस्थान की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में निर्धारित योग्यताधारी प्रतिनिधियों/श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही प्रतिनिधियों/श्रमिकों को सभी विभाग/अनुभाग प्रभारी, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, सेक्टर प्रभारी, प्रोजेक्ट पी.आई./को-पी.आई. तथा सुपरवाईजर के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
 11. किसी श्रमिक/प्रतिनिधि का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर तुरन्त प्रभाव से उसे बदलना होगा तथा उसके स्थान पर नया श्रमिक/प्रतिनिधि उपलब्ध कराना होगा।
 12. अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि/उनके द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों को संस्थान की सम्पत्ति/अनुसंधान सामग्री को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को नगद करना होगा अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा।
 13. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों/प्रतिनिधियों का प्रत्येक माह काटे जाने वाले ₹०पी०एफ०/₹०एस०आई० इत्यादि कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त चालान की प्रतियाँ (प्रत्येक श्रमिक/प्रतिनिधि का अलग-अलग) (पिछले माह का अगले माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा जैसे माह अगस्त का ₹०.पी.एफ./₹०.एस.आई. जमा कराने का चालान सितम्बर माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा) हर माह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाये जाने वाले माल सेवा कर (Goods and Service Tax) की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
 14. उक्त अनुबन्ध कार्य/जॉब कोन्ट्रैक्ट हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी। स्वीकृत अनुबन्ध कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात पूर्व प्रतिपि बिल ३ प्रतियों में उपकेन्द्र एनटीआरएस गडसा में प्रस्तुत करने पर निश्चय समय अवधि में किया जायेगा। प्रस्तुत बिल के साथ सभी विभाग/अनुभागों के प्रभारियों या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी या प्रतिनिधियों से कार्य सन्तोष-जनक पूर्ण करने की मासिक रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना प्रमाण-पत्र बिल अग्रिम कार्यवाही के लिये नहीं भेजा जावेगा तथा भुगतान में किसी प्रकार का बिलम्ब होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी।


Jeanne
25/04/2020

15. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी को उसके द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों को भुगतान जो कि उपरोक्त सारणी में निर्धारित किया हुआ है, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक केवल एकाउण्ट पेयी चैक (मल्टीसीटी)/एन.ई.एफ.टी. द्वारा करना होगा। यदि अनुबन्धकर्ता की लापरवाही अथवा उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसके बिल के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस स्थिति में भी लगाये गये सभी प्रतिनिधियों को भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निश्चित रूप से करना होगा। बिलों का भुगतान केवल पुर्णभरण (Reimbursement) आधार पर ही किया जावेगा। भुगतान निर्धारित तिथि तक बिना किसी विशेष कारण के नहीं करने पर सक्षम अधिकारी महोदय पेनल्टी लगा सकते हैं।
16. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जायेगी।
17. कार्य कार्यालय समय में पूरा करना होगा तथा आवश्यकानुसार कार्यालय समय पश्चात भी कार्य को पूरा करना होगा। भुगतान केवल प्रति माह किये गये कार्य का ही देय होगा।
18. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा तथा नियमों में दर्शाये अनुसार श्रमिक/प्रतिनिधि को भुगतान करना होगा। श्रमिकों/प्रतिनिधियों को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/वलेम न्यायालय में प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
19. अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संस्थान में लगाये गये प्रतिनिधियों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने संबंधी उचित रिकार्ड रखना होगा।
20. अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से हर माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
21. कार्यावधि में ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों/श्रमिकों इत्यादि के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं पूरा खर्च या क्षतिपूर्ति स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की राशि/क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
22. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों/प्रतिनिधियों का ई.एस.आई. कार्ड बनवाना होगा तथा इससे प्राप्त होने वाली सभी सुविधाओं की प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इस कार्य में होने वाला समस्त व्यय अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा ही वहन किया जावेगा।
23. अनुबन्धकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा संस्थान में उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों/प्रतिनिधियों का ई.एस.आई. में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ई.एस.आई. हॉस्पीटल की सूची संबंधित एरिया के अनुसार देनी होगी जहाँ कर्मचारियों को लाभ मिल सके।
24. निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को एवं उसके समस्त प्रतिनिधियों/श्रमिकों को जो एनटीआरएस गडसा में कार्य कर रहे हैं उन्हें संस्थान के सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी तथा ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को उनके द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों/श्रमिकों का पहचान पत्र/गेट पास संस्थान के सुरक्षा अनुभाग से स्वयं के खर्च पर बनवाना होगा। साथ ही आवश्यकता होने पर लगाये गये प्रतिनिधि का पुलिस वैरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) वाला माना जावेगा। अनुबन्ध की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अथवा उनके प्रतिनिधियों/श्रमिकों का जॉब-कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही वे परिषद/संस्थान के कर्मचारी माने जावेंगे।
26. जोखिम खण्ड (Risk Clause) – संस्थान को किसी भी समय सेवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं तो उसे संस्थान द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जावेगा जिसका जवाब एजेन्सी को एक सप्ताह में संस्थान में प्रस्तुत करना होगा तथा वर्तमान अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की जोखिम एवं लागत (Risk and Cost) पर किसी अन्य एजेन्सी/ठेकेदार को ठेका देने का अधिकार संस्थान के पास होगा एवं इस पर होने वाले अधिक खर्च की वसूली को वर्तमान अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की जमानत राशि, पेडिंग/लंबिट बिलों आदि से की जावेगी।
27. लिविंडेटेड डमेजेज खण्ड (Liquidated damages clause) यदि यह पाया जाता है कि अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी अनुभाग/विभाग में निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिनिधि की अनुबन्ध राशि के दो दिवस के बराबर जो कि कम से कम 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिविंडेटेड डमेजेज खण्ड के रूप अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के बिल से वसूली की जावेगी। साथ ही किसी भी विभाग/अनुभाग को कार्य संतोषजनक नहीं रहता है तो रुपये 2500/- प्रतिदिवस के हिसाब से कटौती की जावेगी।
28. अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रतिनिधि/श्रमिक स्वीकृत दरों पर उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही अनुबन्ध कार्य में लगने वाले मेनपावर के नाम, पता व मोबाइल नम्बर इत्यादि सहित श्रेणीवार एक सूची में शैक्षणिक योग्यता क्रय अनुभाग को उपलब्ध कराना होगा।
29. अनुबन्ध कार्य हेतु सी.एल. (आर एण्ड ए) एकट 1970 सेक्सन 12(1)..... 1971 की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम/अनुज्ञा पत्र केन्द्रीय श्रम विभाग, कोटा/सवाई माधोपुर से प्राप्त कर एक माह के भीतर-भीतर इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

जिन्हे
05/02/2020

30. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय—समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
31. किसी भी मेनपावर को किसी भी विभाग/अनुभाग/उपकेन्द्र पर केवल सक्षम अधिकारी महोदय की पूर्व अनुमति के ही लगाया जा सकेगा।
32. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार कुल्लू (हिंप्र) होगा। Decision of Director, Institute shall be final for any aspect of the contract and binding to all parties. Disputes arising, if any on the contract will be settled at his/her level by mutual consultation and in case of failure of settlement dispute shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the Secretary ICAR. The decision of the sole Arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. Arbitration proceedings shall be governed by the Arbitration & Constitution Act, 1996.
33. संस्थान के निदेशक महोदय को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये संस्थान हित में अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।


भवदीय,


(संजय शर्मा) ०५/०२/२०२०
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागाध्यक्ष, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र (केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान) गढ़सा कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) -175141 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. सर्तकता अधिकारी
4. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त कार्य की प्रशासनिक अनुमति देने के साथ-2 इस अनुबन्ध कार्य पर होने वाले कुल खर्च रूपये 3,27,028/- (माह मार्च 2020 तक अवधि का) की दिनांक 27.01.2020 को पत्रावली क्रमांक 6(408)एसपी/2019/के नोटसीट पेज नं. 4 पर वित्त वर्ष 2019-20 में संस्थान मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।


(संजय शर्मा) ०५/०२/२०२०
सहायक प्रशासनिक अधिकारी